भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं.112/जीएस/78-2015 दिनांक : 04.04. 2016

सेवा में

....
....
....
....

विषय:- अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान हेतु उद्धरणों का आंमत्रण।

महोदय/महोदया,

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय में कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जिनकी उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी है और वे बिल्कुल बेकार/अनुपयोगी हो चुकी हैं। इस कारोबार में स्थानीय क्रेताओं से उद्धरण आमंत्रित करके इनको निपटाने का निर्णय लिया है। यह स्वत: स्पष्ट है कि आपकी कम्पनी पुराने बेकार/अनुपयोगी वस्तुओं/सामानों का क्रय करती हो।

यदि आपकी फर्म इस कार्यालय के पुराने बेकार/अनुपयोगी वस्तुओं/सामानों का क्रय करना चाहती है तो आपसे इसके लिए उद्धरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। बहुत सी बेकार/अनुपयोगी वस्तुओं के लिए अपना उद्धरण देने से पूर्व वस्तुओं का निरीक्षण 25 अप्रैल, 2016 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 2:00 बजे अपराह्न तक इस कार्यालय में किया जा सकता है। मोहरबंद लिफाफे में आपका उद्धरण जिसके ऊपर ''विभिन्न पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान हेतु उद्धरण'' लिखा हो, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय के प्रधान वेतन एवं लेखाधिकारी के पक्ष में दिल्ली में देय ₹ 10,000/- के डिमांड ड्रॉफ्ट (बयाना के रूप में) के साथ दिनांक 26 अप्रैल, 2016 को 2:00 बजे अपराह्न तक निविदा बॉक्स (कार्यालय परिसर के स्वागत कक्ष में) अवश्य पहुँच जाना चाहिए। उद्धरणों को उसी दिन 2:30 बजे अपराहन में इस कार्यालय के समिति कक्ष में ऐसे निविदाकारों की उपस्थिति में खोला जाएगा जो आना चाहें।

सफल बोलीदाता को बोली खोलने की अगली तिथि तक 9, डीडीयू मार्ग के इस कार्यालय के कैशियर के पास पूरी राशि जमा करनी होगी तथा इस कार्यालय में राशि जमा करने के एक दिन के भीतर सभी वस्तुओं को हटाना पड़ेगा। राशि या तो नकद जमा की जा सकती है अथवा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय के प्रधान वेतन एवं लेखाधिकारी के पक्ष में दिल्ली में रेखांकित डिमांड ड्रॉफ्ट द्वारा किया जा सकता है।

सक्षम प्राधिकारी को किसी या सभी बोलियों को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार है तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकार का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

भवदीय,

(दिनेश कुमार)
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस)

<u>विभिन्न पुरानी/बेकार और अनुपयोगी वस्तुओं के मूल्य उद्धरण का फार्मेट</u>

क्र.सं.	मद का विवरण	इकाईयां	स्थान	उद्धृत मूल्य (₹ में)
1.	विविध पुरानी/बेकार, अनुपयोगी, टूटी हुई मिश्रित या छाँटी गई वस्तुएं	एकमुश्त	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124	
	कुल उद्धृत मूल्य (अंकों में)			
	कुल उद्धृत मूल्य (शब्दों में) (₹			

<u>बोलीदाता का विवरण</u>

1. बोलीदाता का नाम :..
....
2. प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :..
3. पदनाम :..
4. फोन नं. :..
5. मोबाइल नं. :..
6. ई-मेल :..
7. पता :..
....
....

<u>वचन</u>

1. मै. अधोहस्ताक्षरित प्रमाणित करता हूँ कि मैंने बोली दस्तावेज में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने का वचन देता हूँ।
2. मेरे द्वारा प्रस्तुत दरें वैध और ठेके की पूर्ण अवधि के लिये मुझ पर बाध्यकारी हैं और यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत दरे न्यूनतम दरें है जैसी भारत में किसी भी अन्य संस्था में प्रस्तुत हैं।
3. मैं/हम भारत में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को ठेके की शर्तों के उल्लंघन के मामले में मेरे/हमारे द्वारा जमा बयाना राशि/सुरक्षा जमा को जब्त करने का अधिकार देता हूँ।
4. मैं एतद्द्वारा वचन देता हूँ कि मैं बोली खोलने के एक दिन के भीतर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के रोकड़ शाखा में पूरी राशि जमा करा दूँगा।
5. मैं यह भी वचन देता हूँ कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय में राशि जमा करने की तिथि से एक दिन के भीतर पुरानी/बेकार और अनुपयोगी मदों/वस्तुओं को हटा लूंगा और यदि मैं ऐसा करने में विफल हुआ तो हमारी एजेंसी द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि जब्त कर ली जाए।

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर..

पदनाम..

(बोलीदाता की मोहर)